

कार्यालय वनसंरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी (म.प्र.)

दूरभाष : 223392, फ़ैक्स : 07492-223337, मोबाइल : 9424794735, ई-मेल : ccf.svp@mp.gov.in

क्रमांक/डी.एम./2018/ 2688

शिवपुरी, दिनांक : 20/6/18

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल शिवपुरी।

विषय :- वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त Proposal No. FP/MP/Other/ 33117/2018 मलावनी-मायापुर-राजापुर-रन्नीद, ओएफसी लाईन का अनुमोदन करने बाबत।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/डी.एम./2018/2064 दिनांक 14-5-2018

—00—

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप पर प्रस्ताव इस कार्यालय में ऑन लाईन एवं हार्ड कॉपी में सहमति हेतु प्रेषित किया है। उक्त प्रस्ताव में मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5-11/2006/10-3 दिनांक 31 मई 2014 के बिन्दु क्रमांक-4 के अनुसार प्रकरण 1 है0 से कम होने के फलस्वरूप आपके द्वारा भूमि व्यपवर्तन की अनुमति जारी की जानी है। आपकी अनुशंसा के आधार पर शासन नियमों का पालन करने की शर्त उपरांत इस कार्यालय का अनुमोदन निम्न शर्तों के अधीन किया जाता है:-

- 1- भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा अर्थात प्रकरण संरक्षित वन का होने से वन भूमि संरक्षित वन ही रहेगी।
- 2- उपयोगकर्ता अभिकरण व्यपवर्तित भूमि तथा उसके चारों ओर के क्षेत्र में जीव-जन्तु व वनस्पति को होने वाले नुकसान के लिये जिम्मेदार रहेगा तथा उनको संरक्षित सभी आवश्यक उपाय भी करेगा।
- 3- यह वन भूमि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपयोग में नहीं ली जा सकेगी। भूमि के प्रयोजन में वगैर केन्द्र शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा।
- 4- वनों के संरक्षण, अनुरक्षक तथा संवर्धन के हेतु में राज्य शासन, वन विभाग अथावा भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्रीय) भोपाल द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की गई अन्य शर्तों का पालन उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
- 5- वनक्षेत्र में श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जायेंगे।
- 6- उपयोगकर्ता अभिकरण से यह वचन पत्र लिया जावे कि वनसंरक्षण की दृष्टि से राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा भविष्य में कोई शर्त लगाई जाती है तो वह मान्य होगी।
- 7- Cable Line मुख्य मार्ग के किनारे एवं समानांतर में ही डाला जायेगा। Cable की दूरी छोटा करने हेतु मुख्य मार्ग के किनारे को छोड़कर अन्य वन भूमि का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रकरण में शासन द्वारा दिये गये शर्तों एवं शासन निर्देशों का भली-भाँति परीक्षण कर ही स्वीकृति जारी की जावे। प्रस्ताव के संलग्न वनसंरक्षक द्वारा भाग- III आवश्यक कार्यवाही हेतु सहमति सहित प्रेषित है। संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(कमलिका मोहन्ता)

मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी

पृष्ठांकन क्रमांक/डी.एम./2018/ 2689

शिवपुरी, दिनांक : 20/6/18

प्रतिलिपि:- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त शिवपुरी